रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 499] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 15, 1985/कार्तिक 24, 1907
No. 499] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 15, 1985/KARTIKA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1985

सं. 337/85—सीमाशुल्क

सा.का.नि. 846(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा (1) की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, और भारत के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 293-सीमाशुल्क (सा.का. नि. 735(अ) तारीख 12 सितम्बर, 1985 को अधिक्रान्त करते हुए, यह अवधारित करती

है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए, रूसी रूबल का भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी का रूसी रूबल में संपरिवर्तन करने के लिये विनिमय दर 11.7821 रुपये होगी ।

[फा. सं. 503/2/85–सीमाशुल्क—6]

र.स. सिद्धू, अवर सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 1985

NO. 337/85-CUSTOMS

G.S.R. No. 846(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in superession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 293-Customs (G.S.R. No. 735(E) , dated the 12th September, 1985 the Central Government hereby determines that, for the purpose of section 14 of the said Act, the rate of exchange for conversion of one Russian Rouble into Indian currency or vice-versa, shall be rupees 11.7821.

[F.No. 503/2/85-Cus. VI]

R.S. SIDHU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985